299

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, खण्डपीठ रीवा (म०प्र०)

201

1. रामपति तनय जगन्नाथ सिंगरहा, उम्र 73 वर्ष, पेशा खेती,
2. श्यामलाल तनय जगन्नाथ सिंगरहा उम्र 68 वर्ष, पेशा खेती,
3. रामाश्रय तनय जगन्नाथ सिंगरहा उम्र 47 वर्ष, पेशा खेती,
4. श्रीराल तनय मुन्नीलाल सिंगरहा उम्र 49 वर्ष, पेशा खेती,
5. बाबूलाल तनय मुन्नीलाल सिंगरहा उम्र 43 वर्ष, पेशा खेती,

सभी निवासी ग्राम–लोही, तहसील–गुढ़, जिला–रीवा (म0प्र0)

------निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम्

1. सुंदरिया पुत्री श्री रूक्का सिंगरहा पत्नी स्व. रामकृपाल सिंगरहा, निवासी ग्राम–उमरी, तहसील–गुढ़, जिला–रीवा (म0प्र0)
2. बेवा कौशिल्या पत्नी श्यामसुन्दर सिंगरहा, निवासी– ग्राम–उमरी, तहसील–गुढ़, जिला–रीवा (म0प्र0)
3. नोखेलाल
4. कोमल
5. बिजेन्द्र

} पुत्रगण श्यामसुन्दर, निवासी ग्राम–उमरी, तह0 गुढ़, जिला–रीवा (म0प्र0)

6. गणेश
7. बुद्धसेन
8. रामलखन
9. उमेश
10. फूलचन्द्र
11. डब्बू

} पुत्रगण बीरबली निवासी ग्राम–उमरी, तह0 गुढ़, जिला–रीवा (म0प्र0)

12. बेवा झूठी पत्नी बीरबली, निवासी ग्राम–उमरी, तह0 गुढ़, जिला–रीवा
13. बेवा रामकली पुत्री रूक्का सिंगरहा पत्नी गणेश सिंगरहा, निवासी ग्राम–करही ककरा, तह0 अमरपाटन, जिला–सतना (म0प्र0)
14. बेवा श्यामकली पुत्री रूक्का सिंगरहा पत्नी विशाले, निवासी– ढेकहा रीवा, राज्य परिवहन डिपो के पीछे रीवा (म0प्र0)

15. बेवा सोमवती पुत्री रूक्का सिंगरहा पत्नी सन्तलाल सिंगरहा, निवासी ग्राम–कोछटा, तह0 चुरहट, जिला–सीधी म0प्र0

16. रामबती पुत्री रूक्का सिंगरहा, निवासी– ग्राम उमरी, तह0 हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) ———गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ़, जिला–रीवा के अपील प्रकरण क्र0 16अ–6/2010–11 सुन्दरिया विरूद्ध कौशिल्या में पारित आदेश दिनांक 08.11.12 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका।

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन याचिका।

आवेदकगण/निगरानीकर्तागण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:–

''निगरानी के संक्षिप्त तथ्य''

ग्राम–उमरी उर्फ अवधेशपुर जनरल नं0 50, तहसील–गुढ़ स्थित बड़ा तालाब खसरा क्रमांक 127 क्षेत्रफल 50.30 एकड़ सन् 1960–61 तक भू–अभिलेखों में अंकित था जिसका भू–स्वामी रूक्का सिंगरहा था तथा सन् 1961–62 में यह तीन उपखण्डों में खसरा क्र0 127/1 क्षेत्रफल 45.16 एकड़, 127/2 क्षेत्रफल 5.00 एकड़, एवं 127/3 क्षेत्रफल 0.14 एकड़ में विभक्त होकर भू–अभिलेखों में अंकित किया जाने लगा, तबसे यह बड़ा तालाब सन् 1973–74 तक इसी तीन उपखण्डों में अंकित होता रहा। सन् 1974–75 से नये अधिकार अभिलेख तैयार हो जाने के फलस्वरूप खसरा क्र0 127/1 का नया खसरा क्रमांक 127 क्षेत्रफल 45.16 एकड़ तथा खसरा क्र0 127/2 क्षेत्रफल 5.00 एकड़ का नया खसरा क्रमांक 129 क्षेत्रफल 5.00 एकड़ और खसरा क्र0 127/3 क्षेत्रफल 0.14 एकड़ का नया खसरा क्रमांक 126 क्षेत्रफल 0.14 एकड़ अंकित किया जाने लगा।

तथा पंजीयत विक्रय विलेख दिनांक 03.06.69 के द्वारा रूक्का सिंगरहा ने खसरा क्रमांक 127/1 क्षेत्रफल 45.16 एकड़ का 1/2 हिस्सा यानी 22.58 एकड़ 5000/– रूपये मूल्य में परसुराम ब्राम्हण एवं आवेदकगण/निगरानीकर्तागण के पिता मुन्नीलाल तनय जगन्नाथ सिंगरहा सा0 लोही को समान हिस्से में बेंच दिया। इस तरह से खसरा क्रमांक 127/1

(299)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 738– III / 2013 जिला–रीवा

रामपति सिगरहा / सुन्दरिया सिंगरहा

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण कुमार पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ के प्रकरण क्रमांक 16 / अ–6 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	